भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2282
दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

महिलाओं में फेफड़ों के कैंसर के बढ़ते मामले

2282. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकरः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश के प्रदूषित शहरों में धूम्रपान न करने वाली महिलाओं में फेफड़ों के कैंसर के मामलों में तीव्र वृद्धि की जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार के पास गत पांच वर्षों के दौरान धूम्रपान न करने वाले व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं में फेफड़ों के कैंसर के नए मामलों की संख्या के संबंध में विस्तृत आंकड़े उपलब्ध हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने फेफड़ों के कैंसर के लक्षणों की क्षय रोग (टीबी) से समानता के कारण निदान में विलंब का संज्ञान लिया है और इस समस्या से निपटने हेतु तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय के समन्वय से वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु तैयार की गई राष्ट्रीय कार्य योजना का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी समयबद्ध ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)-राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र (एनसीडीआईआर) द्वारा किए गए एक अध्ययन, जिसका शीर्षक है "भारत में फेफड़ों के कैंसर का नैदानिक-महामारी विज्ञान संबंधी प्रोफाइल - राष्ट्रीय कैंसर पंजीकरण कार्यक्रम (एनसीआरपी) के परिणाम"के अनुसार, , महिलाओं में फेफड़ों के कैंसर के लगभग 53% मामले एडेनोकार्सिनोमा के थे, और यह "गैर-धूम्रपान करने वालों में कैंसर का सबसे आम हिस्टोपैथोलॉजिक प्रकार" है; अध्ययन में यह भी बताया गया है कि 1982 से 2016 तक महानगरों में फेफड़ों के कैंसर की घटनाओं में वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई"। इस अध्ययन में महिलाओं में परिवेशीय वायु प्रदूषण के संपर्क को सीधे तौर पर निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग): टीबी मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य अज्ञात टीबी मामलों की पहचान करना है। टीबी जांच के दौरान, यदि किसी व्यक्ति में फेफड़ों के कैंसर का संदेह होता है, तो उसे आगे के निदान और प्रबंधन के लिए तुरंत उपयुक्त मध्यम और विशिष्ट परिचर्या सुविधा केंद्रों में भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, कैंसर रोगियों को टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संवेदनशील व्यक्तियों के रूप में माना जाता है और टीबी का शीघ्र पता लगाने और आवश्यकता पड़ने पर त्वरित उपचार सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

विशिष्ट परिचर्या सुविधा केंद्रों के सुदृढ़ीकरण की योजना के अंतर्गत, देश के विभिन्न हिस्सों में राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) और विशिष्ट परिचर्या सुविधा केंद्र (टीसीसीसी) स्थापित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समर्थन प्रदान किया जाता है। एससीआई के लिए और टीसीसीसी के लिए अधिकतम अनुमत समर्थन क्रमशः ₹120 करोड़ और ₹45 करोड़ है, जिसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा 60:40 के अनुपात में है (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को छोड़कर, जहां यह अनुपात 90:10 है)। अब तक 39 संस्थानों (19 एससीआई और 20 टीसीसीसी) को अनुमोदन दिया जा चुका है।

(घ): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी 2019 में 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के 130 (मानकों को पूरा न कर पाने वाले और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों) में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) लागू किया है। यह कार्यक्रम केंद्र और राज्य एजेंसियों, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों के समन्वय से, प्रमुख प्रदूषण स्रोतों संबंधी समस्याओं का समाधान करने वाली शहर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

*****